

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक प.7(108)परि/नियम/मु./2010/11108

जयपुर, दिनांक: 19/5/22

कार्यालय आदेश 09/2022

विषय:- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत वाहनों के पंजीयन के संबंध में।

विभागीय समसंख्यक दिनांक 30.06.1989, 22.04.1991, 15.07.1994, 06.08.1996, 25.09.1997, 05.06.1999, 18.08.1999, 22.11.2005, 23.01.2012, 19.07.2013, 14.06.2018, 02.12.2020 एवं 27.05.2021 की निरन्तरता में, निम्न तालिका में उल्लेखित, राज्य में नवगठित जिला परिवहन कार्यालय के पंजीयन अधिकारी को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, राजस्थान राज्य के वाहनों का पंजीयन करने हेतु आवंटित शब्द समूह RJ के पश्चात् उनके पद नाम के सम्मुख अंकित पंजीयन कोड आवंटित किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्यालय	पंजीयन अधिकारी	पंजीयन कोड
1.	जिला परिवहन कार्यालय, सलूमबर	पंजीयन अधिकारी, सलूमबर	RJ58

drjy
19/5/2022
(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त परिवहन एवं
सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक प.7(108)परि/नियम/मु./2010/11109-15

जयपुर, दिनांक: 19/5/22

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण / प्रादेशिक / अतिरिक्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी।
5. नोडल अधिकारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सिस्टम एनालिस्ट एवं तकनीकी निदेशक, एनआईसी।
7. रक्षित पत्रावली।

drjy
19/5/2022
आयुक्त परिवहन एवं
सड़क सुरक्षा विभाग